सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

................कृषि........विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक: एफ.49(1)आरबी / 2013 / 2219
दिनांक : 09 मार्च, 2019

आदेश

डॉ0 जी. एल. केशवा को राजभवन के आदेश कमांक एफ.49(1)आरबी / 2013 / 1902 दिनांक 10.03.2016 द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2013 की धारा 25(1) एवं 25(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक, इनमें से जो भी पहले, के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश की पालना में डॉ0 केशवा द्वारा दिनांक 14.03.2016 को कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। डॉ0 जी. एल. केशवा की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 13.03.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25(1) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25(5) व 25(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ0(श्रीमती) नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
Sd/-
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांकः एफ.49(1)आरबी / 2013 / 2220

दिनांक : 09 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ0 जी. एल. केशवा, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
6. डॉ0(श्रीमती) नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

9.3.19

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान
O/C